यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी— श्री मनोज कुमार मीणा, आर.ए.एस.

वाद संख्याः— 91/2019 **दायरा दिनांकः— 10.07.2019**

—: अनवान :—

मंगतूराम उर्फ मांगीलाल पुत्र नीकूराम जाति मेघवाल(मेघवंशी) निवासी सरदारपुरा बीका 25 एल.जी.डब्ल्यू. तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर।

.....वादी

बनाम

1. हनुमान पुत्र नीकूराम जाति मेघवाल(मेघवंशी) निवासी 25 एल.जी.डब्ल्यू. सरदारपुरा बीका तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर।
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर।

......प्रतिवादीगण

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88, 207, 209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थितः—

1. श्री भागीरथ बिश्नोई, अधिवक्ता वादी
2. पैराकार राज नायब तहसीलदार सूरतगढ़।

— :: निर्णय ::—

दिनांकः— 25/09/2020

पत्रावली पेश हुई। वकुलाय फरीकेन उपस्थित। बहस सुनी गई। वाद पत्र के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि वादी व प्रतिवादी न. 1 आपस में सगे भाई हैं। वादी के पिता के नाम से चक 21 एस.टी.बी. की जमाबन्दी सम्वत 2070 ता 73 के खाता संख्या 145/137 के प0न0 55/304 मु0न0 12 के किला नम्बर 5 ता 7, 13 ता 19, 21 ता 25 बारानी मे 2.858 है0 बारानी व प0न0 54/304 के मु0न0 13 के किला नम्बर 10/2 ता 13, 18 ता 24 मे 2.682 है0 बारानी प0न0 54/305 मु0न0 22 के किला नम्बर 1 ता 23 की 5.819 है0 कुल 11.359 है0 बारानी भूमि मय रास्ता राजस्व रिकार्ड दर्ज होकर कब्जा काश्त मे चली आ रही थी। पिता के स्वर्गवास होने के पश्चात यह भूमि वादी की माता लिछमा, वादी स्वय् व वादी के भाई प्रतिवादी संख्या 1 हनुमान के नाम विरास्तन दर्ज हो गई। वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 की माता लिछमा का भी स्वर्गवास हो चुका है। इसलिए वादी व प्रतिवेदी संख्या 1 की माता लिछमा को वाद पत्र मे पक्षकार नही बनाया गया है। बहन पारा देवी ने अपना हक वादी एवं प्रतिवादी सख्या 1 हनुमान के पक्ष मे जरिये दस्तबरदारी दिंनाक 21.01.2013 को त्याग दिया है। वादी का नाम जैरवाद भूमि की जमाबन्दी मे मंगतूराम दर्ज है जबकि सरकारी रिकार्ड में जैसे राशनकार्ड जिसका बारकोड नम्बर 200001561231 है, आधारकार्ड जिसका नम्बर 418137108509 है, भारत निर्वाचन आयोग द्वारा बना वोटरकार्ड नम्बर आर.जे/02/010/096158 दिंनाक 01/05/1995 है इन सभी मे वादी का नाम मांगीलाल पुत्र नीकूराम दर्ज है। वादी की पत्नी चान्दो देवी के नाम से परिवार भामाशाह कार्ड नम्बर वी.पी.आर.बी.जे... जिसमे अंकित बैंक खाता

उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ़

Signature Not Verified
Digitally signed by Manoj Kumar Meena
Date: 2020.10.09 16:57:56 IST
Reason: SelfAttested

663210510001545 दिनांक 15/09/2015 है मे भी वादी का नाम मांगीलाल पुत्र नीकूराम दर्ज है। जिससे यह पूर्णतया साबित है कि वादी का नाम जमाबन्दी मे मंगतूराम व अन्य दस्तावेजो मे मांगीलाल है व पिता का नाम नीकूराम ही अंकित है। जिससे यह साबित है कि वादी को दो नामो से पुकारा जाता है। इसलिए भी वादी के नाम मंगतूराम उर्फ मांगीलाल करवाया जाना कानूनी रूप से आवश्यक है। इन सभी दस्तावेजात से साबित हैं कि वादी का वाद पत्र सरकारी दस्तावेजात पर आधारित हैं व यह बात भी पूरी तरह से साबित हैं कि वादी का नाम मंगतूराम व मांगीलाल है। नाम भिन्न–भिन्न होने यानि राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी मे मंगतूराम व अन्य दस्तावेजात में अलग नाम होने से भारी कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। चूंकि बैंक से ऋण आदि लेने सहकारी समिति से सरकारी सहायतार्थ बीज आदि लेने फव्वारा पद्धति से सिंचाई हेतु सहायता आदि प्राप्त करने पर जमाबन्दी व अन्य दस्तावेजात में नामो मे भिन्नता होने से वादी किसी प्रकार से कोई सहायता आदि प्राप्त नहीं कर सकता हैं। वादी की पत्नी चन्दो देवी ने भी वादी के पक्ष मे अलग से एक शपथ पत्र प्रस्तुत किया है जिसमे वादी की पत्नी ने अपने नाम के दस्तावेजो जैसे आधार कार्ड, भामाशाह कार्ड, व राशन कार्ड मे वादी का नाम मांगीलाल अंकित होना बताया है। शपथ पत्र के शीर्ष मे वादी की पत्नी व वादी स्वय् की फोटो चिपकाई गई हैं। साक्ष्य के रूप मे वादी की पत्नी चन्दो देवी अपना आधार कार्ड, राशनकार्ड व अपने नाम का परिवार भामाशाह की प्रतिलिपि सलंग्न शपथ पत्र कर रही है। वादी का जो नाम जमाबन्दी में है उस नाम के आगे सिर्फ उर्फ लगाकर मांगीलाल यानी मंगतूराम उर्फ मांगीलाल ही लगाया जा रहा है। जिससे प्रतिवादी संख्या 1 के हिस्सा या हको पर किसी प्रकार का विपरीत प्रभाव नहीं पड़ेगा। वादी व प्रतिवादी के हिस्से की भूमि रिकार्ड में इन्द्राज यथावत ही रहेगा। वादी अनपढ़–घरेलू व जमीदारा करता हैं व पशुपालन करता हैं। पहले कभी रिकार्ड में ध्यान नहीं दिया कि जमाबन्दी में नाम घर में पुकारने वाले नाम का इन्द्राज हो गया हैं। अब जमाबन्दी निकलवाई व खेत में ट्यूबवैल पर बिजली का कनेक्शन लेने बाबत व बीज खाद के लिए सहकारी समिति में गये व वहां सहकारी समिति में वादी का पहचान पत्र व आधारकार्ड प्रस्तुत किये तो बताया गया कि जमाबन्दी व अन्य दस्तावेजात के नाम में अन्तर हैं कि जमाबन्दी व अन्य दस्तावेजात के नामें में अन्तर हैं चूंकि जमाबन्दी में वादी के नाम घर में पुकारे जाने वाले नाम दर्ज करवा दिये हैं इसलिए वादीगण द्वारा यह वाद प्रस्तुत किया जा रहा हैं। अतः वाद पत्र वादी का स्वीकार किया जावे तथा अनुतोष क ता घ अनुसार डिक्री फरमाया जावे।

प्रतिवादी संख्या 1 ने अपना इकबाल जवाबदावा प्रस्तुत कर वादी का वाद पत्र स्वीकार कर डिक्री करने का निवेदन किया।

बहस पर मनन किया व पत्रावली मे उपलब्ध अभिलेख का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। वादी द्वारा प्रस्तुत जमाबन्दी अनुसार चक 21 एस.टी.बी. के खाता संख्या 145/137 जमाबन्दी सम्वत 2070 ता 2073 मे वादी का नाम मंगतूराम दर्ज है। वादी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजो वोटरकार्ड, आधारकार्ड व राशनकार्ड में वादी का नाम मांगीलाल दर्ज है। ग्राम पंचायत सरदारपुरा बीका द्वारा तस्दीक दी गई हैं कि वादी का नाम मंगतूराम को ही मांगीलाल के नाम से जाना जाता है। मंगतूराम उर्फ मांगीलाल दोनो एक ही व्यक्ति के नाम हैं। प्रतिवादी संख्या 1 जो वादाधीन भूमि में सहखातेदार है ने इकबाल जवाबदावा प्रस्तुत कर अपनी सहमती दी है। इसलिए वादाधीन भूमि में वादी का नाम मंगतूराम उर्फ मांगीलाल दर्ज करने बाबत दावा स्वीकार किया जाना उचित समझता हूं।

Signature Not Verified
Digitally signed by Manoj Kumar Meena
Date: 2020.10.09 16:57:56 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़

अतः वाद पत्र वादी स्वीकार किया जाता है तथा तहसील सूरतगढ़ के चक 21 एस.टी.बी. की जमाबन्दी सम्वत 2070 ता 73 के खाता संख्या 145/137 के प0न0 55/304 मु0न0 12 के किला नम्बर 5 ता 7, 13 ता 19, 21 ता 25 बारानी मे 2.858 है0 बारानी व प0न0 54/304 के मु0न0 13 के किला नम्बर 10/2 ता 13, 18 ता 24 मे 2.682 है0 बारानी प0न0 54/305 मु0न0 22 के किला नम्बर 1 ता 23 की 5.819 है0 कुल 11.359 है0 बारानी भूमि मय रास्ता खातेदारी भूमि के राजस्व रिकार्ड में संयुक्त खाते में दर्ज वादी का **मंगतूराम** के स्थान पर **मंगतूराम उर्फ मांगीलाल** दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते है। शेष समस्त प्रविष्टियां पूर्ववत रहेगी। परचा डिक्री जारी हो। पत्रावली फैंसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 25.08.2020 को सुनाया गया।

(मनोज कुमार मीणा)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़।

Signature Not Verified
Digitally signed by Manoj Kumar Meena
Date: 2020.10.09 16:57:56 IST
Reason: SelfAttested

(आदेश 21 नियम 6—7 जाब्ता दीवानी)

—:: परचा डिक्री ::—

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर

(बइजलास — मनोज कुमार मीणा, आर.ए.एस.)

—: अनवान :—

मंगतूराम उर्फ मांगीलाल पुत्र नीकूराम जाति मेघवाल(मेघवंशी) निवासी सरदारपुरा बीका 25 एल.जी.डब्ल्यू. तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर।

.....वादी

बनाम

1. हनुमान पुत्र नीकूराम जाति मेघवाल(मेघवंशी) निवासी 25 एल.जी.डब्ल्यू. सरदारपुरा बीका तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर।
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर।

......प्रतिवादीगण

उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ़

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88, 207 209 राज. काश्तकारी अधिनियम 1955 मुकदमा न. 91 वर्ष 2019 यह मुकदमा वास्ते इनफिसाल कितई रूबरू हमारे हाजरी वकील वादी श्री भागीरथ बिश्नोई व राज पैरोकार के हाजिर होने पर हुक्म दिया जाता है व डिक्री जारी की जाती है कि :—

वाद पत्र वादी स्वीकार किया जाता है तथा तहसील सूरतगढ़ के चक 21 एस.टी.बी. की जमाबन्दी सम्वत 2070 ता 73 के खाता संख्या 145/137 के प0न0 55/304 मु0न0 12 के किला नम्बर 5 ता 7, 13 ता 19, 21 ता 25 बारानी मे 2.858 है0 बारानी व प0न0 54/304 के मु0न0 13 के किला नम्बर 10/2 ता 13, 18 ता 24 मे 2.682 है0 बारानी प0न0 54/305 मु0न0 22 के किला नम्बर 1 ता 23 की 5.819 है0 कुल 11.359 है0 बारानी मय रास्ता खातेदारी भूमि के राजस्व रिकार्ड में संयुक्त खाते में दर्ज वादी का **मंगतूराम** के स्थान पर **मंगतूराम उर्फ मांगीलाल** दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते है। शेष समस्त प्रविष्टियां पूर्ववत रहेगी।

नोज.......... × .... मुबलिग.........× .... बाबत..........×..... ....खर्चा इस मुकदमे में मय सूद बशरह ...... × .... फस्दो की पालना ...... ×..... ... आज की तारीख से तारीख वसूलया वो तक की अदा करे।

बसिब्त मेरे दस्तखत व मोहर अदालत के आज दिनांक 25/08/2020 को जारी की गई।

(मनोज कुमार मीणा)

उपखण्ड अधिकारी

सूरतगढ़

Signature Not Verified

Digitally signed by Manoj Kumar Meena
Date: 2020.10.09 16:57:56 IST
Reason: SelfAttested